



कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

स्थापना शाखा, मुख्य कार्यालय – साकेत भवन, कोरबा (छ0ग0)

दूरभाष : 07759-221288, फ़ैक्स : 07759-221929, पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड – 495677

Website : www.korbamunicipal.in, Email : corporationkorba@gmail.com



फा.क./शिक्षा/स्था./1/2018-19/8360

कोरबा दिनांक 27.07.2018

आदेश

नगरीय प्रशासन एवं विकास, महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-4-42/2014/2018 नया रायपुर दिनांक 04.06.2018 में दिये निर्देशानुसार एवं व्यापम रायपुर के माध्यम से चयनित वरिष्ठता क्रम में द्वितीय सूची के व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु प्रमाण पत्रों के छानबीन में उपस्थित पाये गये अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम 2013 में प्रावधानित नियमों (संशोधन सहित) के अधीन छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 13 एवं धारा 4 की उप धारा (2) के खण्ड (दो) द्वारा संशोधनों सहित सीधी भर्ती अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा के पत्र क्र./1007/जि.शि./स्था/2017-18 कोरबा दिनांक 13.12.2017 के द्वारा उपलब्ध सीधी भर्ती के रिक्त स्वीकृत व्याख्याता के पद पर वेतनमान रु. 5300-150-8300 में निम्नानुसार अस्थाई नियुक्ति प्रदान करते हुए, उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित विद्यालय में पदस्थापना की जाती है :-

क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	वर्ग	पदांकित शाला	विकासखण्ड
1	श्री नंदकुमार पटेल	श्री शत्रुघन पटेल	व्याख्याता गाणित	अ.पि.व.	शासकीय हाईस्कूल मढ़वाढोडा	कटघोरा
2	श्रीमती शशिकला बघेल	श्री राधेश्याम बघेल	व्याख्याता जीवविज्ञान	अ.जा.	शासकीय हाईस्कूल भैरोताल	कटघोरा
3	श्री गुनेश्वर सिंह कंवर	श्री परदेशी सिंह	व्याख्याता वाणिज्य	अ.ज.जा.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक बालको	कोरबा

- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि नियुक्त व्याख्याता के प्रमाण पत्र असत्य/त्रुटिपूर्ण/फर्जी पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पृथक से आदेश जारी नहीं किया जावेगा।
- यह नियुक्ति छ.ग.शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) नियम 2013 में वर्णित शर्तों एवं नियमों के अधीन होगी साथ ही छ.ग. नगर पालिका शिक्षाकर्मियों (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) नियम 2008 भी लागू होगा। नियुक्त व्याख्याता को छ.ग. शासन एवं छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 बंधनकारी होगा।
- नियुक्त व्याख्याता को 02 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता के कार्य का आंकलन किया जावेगा। दो वर्ष के पश्चात् व्याख्याता को उनके कार्य, आचरण के आधार पर व्याख्याता का नियमितकरण किया जा सकेगा। यदि व्याख्याता का कार्य समाधानप्रद नहीं पाया जाता है तो उसे 01 से 02 वर्ष के लिए परीक्षा पर बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। इसके पश्चात पुनः बढ़ाई गई कालावधि के अंत में उनके कार्य का आंकलन किया जावेगा, यदि समाधानप्रद नहीं पाया गया तो सेवा समाप्त कर दी जावेगी। परन्तु किसी भी दशा में परिवीक्षाकाल अवधि 05 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जावेगी। व्याख्याता को परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन तथा उस पर स्वीकार्य महंगाई भत्ता प्रदत्त किया जावेगा।
- व्याख्याता यथा स्थिति नगर पालिक निगम कोरबा के प्रशासकीय नियंत्रण में छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 1956 की धारा 58 के अधीन निर्धारित सेवा शर्तों एवं प्रचलित नियमों के अधीन रहेंगे। आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा इसके लिए अनुशासनिक प्राधिकारी होंगे।
- ऐसे व्याख्याता जो स्थाई सेवा में न हो, सेवाएं या तो व्याख्याता द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को या नियुक्त प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता को लिखित में 01 माह की सूचना देकर या एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जाने के दायित्वहीन होगी।
- व्याख्याता के उपर वर्णित शर्तों से भिन्न सेवा की अन्य शर्तें यथा स्थिति नगर पालिक निगम कोरबा में नियुक्त अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तों के समान ही होगी।
- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को संलग्न निर्धारित प्रपत्र में स्टाम्प/पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।



कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

स्थापना शाखा, मुख्य कार्यालय – साकेत भवन, कोरबा (छ0ग0)




दूरभाष : 07759-221288, फ़ैक्स : 07759-221929, पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड - 495677

Website : www.korbamunicipal.in, Email : corporationkorba@gmail.com

// 2 //

8. नियुक्त किये गये व्याख्याता को सर्वप्रथम कार्यालय, नगर पालिक निगम कोरबा में अपनी उपस्थिति देनी होगी तथा अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों एवं उनकी सत्यापित छायाप्रतियां निगम कार्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करते समय जमा करना होगा।
 1. हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी/स्नातक/स्नातकोत्तर की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो।
 2. शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र।
 3. प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र।
 4. सत्यापित जाति एवं निवास संबंधी प्रमाण पत्र।
 5. जिला मेडिकल बोर्ड कोरबा द्वारा दिया गया भैषजिक प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
 6. आचरण एवं व्यक्तित्व के संबंध में दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 7. 01 नग कोरी सेवा पुरस्तिका एवं 02 नग पासपोर्ट साईज फोटो।
9. संबंधित व्याख्याता को दिनांक 09.08.2018 तक अनिवार्य रूप से नियुक्त संस्था में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में आपकी नियुक्ति स्वमेंव निरस्त मानी जावेगी।
10. इनकी चाल चलन के संबंध में पुलिस विभाग से जांच कराई जावेगी एवं जांच रिपोर्ट विपरित आने पर इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
11. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 6 (दो) अंतर्गत " कोई भी नगरीय निकाय सेवक, अपनी सेवा या किसी अन्य नगरीय निकाय सेवक की सेवा से संबंधित किसी मामले के संबंध में न तो किसी तरह की हड़ताल का सहारा लेगा और न ही किसी प्रकार से उसे अभिप्रेत करेगा।"
12. उक्त उल्लेखित निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

o/c


आयुक्त 27-7-18
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

पृष्ठा.क्र./शिक्षा/स्था./एक/2018-19/8361

कोरबा दिनांक 27.07.2018

प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम कोरबा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय नया रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास छ.ग. शासन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्या कल्याण विभाग छ.ग. शासन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, चतुर्थ तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
6. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
7. कलेक्टर जिला कार्यालय कोरबा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
8. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास क्षेत्रीय कार्यालय व्यापार विहार बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. जन संपर्क सहायक, नगर पालिक निगम कोरबा की ओर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सालय, जिला-कोरबा (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-कोरबा (छ.ग.) को सूचनार्थ।



कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

स्थापना शाखा, मुख्य कार्यालय – साकेत भवन, कोरबा (छ0ग0)



दूरभाष : 07759-221288, फ़ैक्स : 07759-221929, पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड - 495677

Website : www.korbamunicipal.in, Email : corporationkorba@gmail.com

// 3 //

12. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, कोरबा / कटघोरा की ओर सूचनार्थ एवं संबंधितों को कार्यभार ग्रहण कराने की जानकारी से कार्यालय को 07 दिवस के भीतर जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे।
13. प्राचार्य, विकास खण्ड-कोरबा / कटघोरा की ओर सूचनार्थ आप संबंधित के कार्य भार ग्रहण की सूचना एवं उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के अवलोकन किये जाने संबंधी जानकारी इस कार्यालय में जमा करें।
14. संबंधित श्री / श्रीमती / कु. पिता / पति

पता.....
.....को पालनार्थ। संबंधित व्याख्याता को कार्यभार ग्रहण करते समय शारीरिक योग्यता संबंधी जिला चिकित्सालय, जिला-कोरबा (छ.ग.) द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, 01 नग सेवा पुस्तिका (कोरी) व अन्य प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि निश्चित रूप से जमा करना होगा। आप अपने नियुक्ति किये गये संस्था में दिनांक 09.08.2018 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के पश्चात् कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में आपकी नियुक्ति स्वमेंव निरस्त मानी जावेगी।

%

Rambh...
आयुक्त 27.7.18
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)